

विशेष विवरण

	India inacai
	माध्यमिक परीक्षा में श्रेणी (Division) निर्धारण के लिये पूर्णांक 600 हैं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी (Division) में उत्तीर्ण होने के लिये क्रमशः 60,45 तथा 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है एवं प्रमाण पत्र अंक-तालिका सहित में प्रतिशत (%) दशीये जायेंगे। विशेष योग्यता 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर हों भाषा विषयों सहित सभी विषय/विषयों में दी जायेगी। परीक्षा श्रेणी (Category) 4 एवं 5 के परीक्षार्थियों के लिए यह नियम लागू नहीं होंगे।
2.	भाषा विषयों साहत सभा विषय समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, राजस्थान अध्ययन एवं फाउन्डेशन आफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी विषय लेना अनिवार्य हैं, किन्तु स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को इन विषयों से मुक्त रखा गया है। राजस्थान अध्ययन फाउन्डेशन आफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषयों में अंक प्रदान किये गये हैं तथा शेष विषयों में अंकों के स्थान पर निम्नानुसार ग्रेडिंग किया गया है:-
	टेक्नोलोजी तथा शासारक एवं स्वास्थ्य शिक्षा विषया में जर्क प्रदान स्वर्ग पर पर उत्कृष्ट- A, बहुत अच्छा - B, अच्छा - C, सामान्य - D, सामान्य से कम - E
3.	परीक्षा श्रेणी (Category) का तात्पर्य परीक्षा में सम्मिलित निम्न प्रकार के परीक्षार्थियों से हैं :-
	(क) सम्पर्ण विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी
	(ख) श्रेणी (Division) सुधार हेतु पुन: सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी
	(ग) परक परीक्षा में सम्मिलत होने वाले परीक्षार्थी
	(फ्र) अतिरिक्त विषय/विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी
	(क) पाच्य भाषा में उत्तीर्ण होने के बाद अंग्रेजी अनिवार्य अथवा हिन्दी अनिवार्य विषय में सिम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी
4.	परीक्षा में प्रविष्ट होने के उपरान्त भी परीक्षार्थी प्रमाण पत्र अंक-तालिका सहित में किसी विषय में अनुपस्थित पाता है तो वह केन्द्राधीक्षक से उपस्थित प्रमाणित करवाकर
	अधिकतम तीन माह की अवधि में बोर्ड कार्यालय को सचित करे।
5.	बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रलेखों की प्रविष्टि में हेरफेर अथवा रहोबदल /ऊपरीलेखन करना दंडनीय कार्य है, ऐसा पाये जाने पर दोष की गम्भीरता को ध्यान में रखते
	ह्रा नियमानसार कार्यवाही की जायेगी।
6.	प्राप्तांकों की पुन: गणना (Re-totaling) हेतु आवेदन पत्र बोर्ड कार्यालय में परीक्षाफल घोषणा की तिथि से दस दिवस की अविध में पहुँच
	जाने चाहिरो। हमके बाद पाम आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। प्रत्येक विषय के लिए शुल्क रुपय 200/- निधारित ह तथा उत्तर पुस्तिका
	की फोटो प्रति हैतू प्रत्येक उत्तर पुस्तिका की राशि रूपये 400/-निर्धारित है। पुनः गणना हेतु प्रतिहेन पुनः उपनिदेशक (गोपनीय) के नाम स
	की फोटो प्रति हैत् प्रत्येक उत्तर पुस्तिका की राशि रूपये 400/-निर्धारित है। पुनः गणना हेतु प्रतिहेन पन उपनिदेशक (गोपनीय) के नाम से भेजें। संवीक्षा (पुनर्गणना) में किसी भी अभ्यर्थी की उत्तर-पुस्तिका की पुनः जांच (Re-examination) करना समहित्य स्ति।
7.	प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित पर परीक्षार्थी का फोटो मुद्दित नहीं किया जाता है।
8.	यदि परीक्षार्थी के नाम/पिता/माता/के नाम अथवा जन्म तिथि के संशोधन अपेक्षित है तो नियमानुसार परिभागानी विश्व से वर्ष की अविध में संशोधन की
	कार्यवाही करे। उसके पश्चात् संशोधन नहीं किया जायेगा।
9.	ABBREVIATIONS:-

AA - अनुपस्थित

D - विषय में विशेष योग्यता

G - सानुग्रह अंक

अनुभाग अधिकारी (परीक्षाना)

विद्यालय प्रधान / केन्द्राधीक्षक द्वारा पृष्ठांकन

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षार्थी के नाम, माता -िपता के नामों की वर्तनी (स्पेलिंग) सहित जन्म दिनांक की शाला रिकॉर्ड के अनुसार भली प्रकार से जांच कर ली गई है। सही पाये जाने पर परीक्षार्थी जिसके हस्ताक्षर नीचे किये हुए हैं का प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित दिनांक : को दिया गया।

S. Moura

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर


विद्यालय प्रधान केन्द्राधीक्षक के

हस्ताक्षर व विद्यालयु क्यी रुबर मोहर

BAIN PARK, JAIPUP

नोट: परीक्षार्थी के नाम, पिता माता के नामों में वर्तनी (स्पेलिंग) या उपनाम/जन्म दिनांक में शाला रिकॉर्ड से भिन्न पाये जाने पर संशोधनार्थ अपनी अभिशंषा के साथ नियमानुसार मूल दस्तावेज व प्रमाणित प्रतियां सिहत दस्तावेज तुरन्त बोर्ड को लौटा दिये जावें।

परीक्षार्थी को यदि मूल प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित उक्त पृष्ठांकन के बिना दिया गया हो तो यह अमान्य होगा।



विशेष विवरण

1.	उच्च माध्यमिक परीक्षा में श्रेणी (Division) निर्धारण के लिये पूर्णांक 650 हैं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी (Division) में उत्तीर्ण होने के लिये क्रमशः 60,45 तथा 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है एवं अंक-तालिका में प्रतिशत (%) दर्शाये जायेंगे। विशेष योग्यता 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ही केवल ऐच्छिक विषय/विषयों में दी जायेगी। परीक्षा श्रेणी (Category) 4 से 6 तक के परीक्षार्थियों के लिए यह नियम लागू नहीं होंगे।
2.	परीक्षा श्रेणी (Category) का तात्पर्ये परीक्षा में सम्मिलित निम्न प्रकार के परीक्षार्थियों से है :-
	(क) सम्पूर्ण विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी
	(ख) श्रेणी (Division) सधार हेत पन: सम्मिलत होने वाले परीक्षार्थी
	(ग) द्विताय/तृताय अवसर पुरक परक्षा में सम्मिलित होने वाले परिक्षार्थी
	(व) पूरक पराका न साम्मालत हान वाल पराक्षाया
	(ङ) आतारक्त विषय/विषया में साम्मालत होने वाल परक्षिार्थ
	्च) प्राच्य भाषा में उत्तीर्ण होने के बाद अंग्रेजी अनिवार्य अथवा हिन्दी अनिवार्य विषय में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी
	(छ) अंकों में सुधार हेतु एक या अधिक विषयों में (परन्तु सम्पूर्ण विषयों में नहीं) सिम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी
	(ज) वर्ग (Group) परिवर्तन कर पुन: उसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी
3.	यदि कभी यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने बोर्ड द्वारा प्रदत्त अंक–तालिका अथवा किसी अन्य प्रलेख में की गई प्रविष्टि में हेरफेर अथवा
	रद्दोबदल कर दिया है तो यह दण्डनीय कार्य माना जायेगा तथा दोष की गम्भीरता के परिमाण को दृष्टि में रखते हुए नियमानुसार
	कार्यवाही की जायेगी।
4.	ABBREVIATIONS :-
	AA - अनुपस्थित । - प्रथम पत्र D - विषय में विशेष योग्यता
	F - अनुत्तीर्ण ॥ - द्वितीय पत्र G - सानुग्रह अंक
	S - पूरक परीक्षा का विषय